राजस्थान–सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर–302016

क्रमांक– एफ.93 / पार्ट–2 / कम्प / ऑनलाईन प्रोसेस / 2019 / 1663 दिनांक 29/12/2021

परिपत्र

विषयः– बीमा स्वत्व प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में।

एसआईपीएफ नवीन पोर्टल दिनांक 13 / 10 / 2021 से समस्त जिला कार्यालयों में लागू किया जा चुका है। बीमा स्वत्व प्रकरण जो दिनांक 13 / 10 / 2021 से पूर्व के हैं और भुगतान की कार्यवाही किसी कारणवश नहीं हो सकी है, ऐसे समस्त प्रकरणों में असमंजस की स्थिति को देखते हुए निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैः–

1. एसआईपीएफ पोर्टल 2.0 पर जो भी बीमा स्वत्व अप्रूव्ड किये जा चुके हैं किन्तु भुगतान नहीं हुआ है, उनका फ्लोट बनाकर भुगतान की कार्यवाही अविलम्ब की जावे। भुगतान हेतु पे–मैनेजर पर बिल बनाने से पूर्व मुख्यालय से पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

2. एसआईपीएफ 2.0 पर जो भी बीमा स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं, परन्तु वे पेण्डिंग है, उनको नियमानुसार कार्य करते हुए 15.01.2022 से पूर्व निस्तारण का कार्य सुनिश्चित करावे।

उक्त दोनों बिन्दुओं द्वारा निस्तारित किये जाने वाले बीमा स्वतवों में अपेक्षित कार्यवाही करने से पूर्व अपने स्तर पर यह जांच कर लेवें कि बीमेदार ने एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर क्लेम या ऋण का आवेदन तो नहीं कर दिया है। यदि एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर क्लेम या ऋण का आवेदन पाया जाये तो पहले उसे निरस्त करें उसके पश्चात 2.0 पर स्वत्व के भुगतान की कार्यवाही करें।

एसआईपीएफ पोर्टल 2.0 पर क्लेम का निस्तारण व भुगतान हेतु आवश्यक सभी स्कीन को दिनांक 15 / 01 / 2022 को कार्यालय समय तक के लिये खोला गया है। अतः इस अवधि में ही सभी पेंडिग स्वत्वों का निस्तारण यथावश्यक कर लेंवें। दिनांक 15 / 01 / 2022 को एसआईपीएफ 2.0 पर स्वत्व संबंधी उक्त सभी गतिविधियां बंद हो जायेंगी।

(योगमित्र दिनकर)
अति. निदेशक, सिस्टम्स

क्रमांक–एफ.93 / पार्ट–2 / कम्प / ऑनलाईन प्रोसेस / 2019 / 1663 दिनांक 29/12/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, मुख्यालय
2. वरि. अतिरिक्त निदेशक, बीमा योजना, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, मुख्यालय,
3. अति. निदेशक, डीटीए
4. तकनीकी निदेशक, एनआईटी
5. समस्त अधिकारी मुख्यालय, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, जयपुर।
6. अति. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, समस्त संभाग कार्यालय
7. सहायक / उप / संयुक्त निदेशक, बीमा, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, समस्त जिला कार्यालय।
8. सिस्टम एनालिस्ट, मुख्यालय, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।

अति. निदेशक, सिस्टम्स